न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः– अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
08/2015	09.02.2015	05/05/2025

1. लड्डू लाल पुत्र भोरींलाल दत्तक पुत्र नागा जाति जाट उम्र 68 वर्ष पेशा काश्त निवासी कुतलपुरा जाटान तहत तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र प्रहलाद जाति जाट उम्र 60 वर्ष
2. बद्रीलाल पुत्र प्रहलाद जाति जाट उम्र 58 वर्ष
3. केदारलाल पुत्र प्रहलाद जाति जाट उम्र 56 वर्ष
4. जगदीश पुत्र प्रहलाद जाति जाट उम्र 50 वर्ष
5. इंद्रराज पुत्र प्रहलाद जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासीयान ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. मु0 रामेश्वरी पुत्री प्रहलाद पत्नी रामफूल जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोसरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (पैत्रिक ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर)
7. गोपाल पुत्र अम्बालाल जाति जाट उम्र 70 वर्ष
8. महेंद्र कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट उम्र 28 वर्ष
9. मु0 रूकमणी पत्नी प्रभूदयाल उर्फ प्रभूलाल जाति जाट उम्र 45 वर्ष
10. जीतू पुत्र घनश्याम जाति जाट उम्र 25 वर्ष
11. तीजू पुत्र घनश्याम जाति जाट उम्र 23 वर्ष
12. मु0 इन्दिरा बेवा घनश्याम जाति जाट उम्र 45 वर्ष
13. मु0 गोरू पुत्री घनश्याम जाति जाट उम्र 21 वर्ष
14. गोरधन पुत्र लड्डू लाल जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासीयान ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर
15. सरकार जरिये सेल्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर।
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सवाई माधोपुर जरिए शाखा प्रबंधक

अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेध आर0टी0एक्ट0

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एड0 अप्रार्थी की ओर से।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 अप्रार्थी की ओर से।

:– निर्णय –:

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम कुतलपुरा जाटान तहत तहसील व जिला सवाई माधोपुर का निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। उसी प्रकार अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तथा 7 लगायत 14 भी ग्राम कुतलपुरा जाटान के ही निवासीयान है । एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 का पैत्रिक ग्राम भी कुतलपुरा जाटान ही हैं जो अपने ससुराल ग्राम कोसरा तहसील खण्डार में रहती आई ळें मृतक नागा पुत्र देवबक्स जाति जाट निवासी ग्राम कुतलपुरा जाटान प्रार्थी के खास मामा थे, जिसका आज से करीब 31-32 वर्ष (अक्षरे इकत्तीस-बत्तीस वर्ष) पूर्व देहान्त हो चुका है एवं उनकी पत्नि का देहान्त उनसे करीब 30 (अक्षरे तीस) वर्ष पूर्व ही हो चुका था। प्रार्थी के मामा मृतक नागा निःसन्तान थे जिन्होंने अपनी पत्नि के देहान्त होने के बाद प्रार्थी को करीब 11-12 (अक्षरे ग्यारह-बारह) साल की उम्र में ही प्रार्थी के माता-पिता से नियमानुसार तथा समाज रिति रिवाज निभाते हुए गोद लेकर उसके पैत्रिक ग्राम बहरावण्डा कलां से अपने ग्राम कुतलपुरा जाटान ले आये थे तथा उन्होंने ही प्रार्थी को पाल-पोष कर बड़ा किया व प्रार्थी को लिखाया पढाया तथा प्रार्थी का विवाह किया। प्रार्थी ने भी बडा होने पर अपने मामा की पूर्ण देखभाल एवं सेवा सवा की। प्रार्थी ने ही बतौर पुत्रवत अपने मामा की मृत्यु पर समस्त किया कर्म एवं चाल चलावा व बारह ब्राम्हण आदि कार्य सम्पन्न करवाये तथा उसकी पगडी भी समाज के व्यक्तियों, रिश्तेदारों व गाँव वालों ने प्रार्थी के ही सिर पर बन्धयायी थी। प्रार्थी ही अपने मामा उक्त मृतक नागा का एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर उसको उपयोग उपभोग में लेता आया है तथा कृषि भूमि की कास्त करता रहा है। ग्राम कुतलपुरा जाटान में भूमि वर्तमान खसरा नम्बरान 19 / 358 रकबा 0.02 है० [illegible] उन्नीस बटें तीन सौ अठ्ठावन है० रकबा जीरो पाई[illegible] 359 रकबा 0.03 है० (अक्षरें बीस बटें तीन सौ उनस[illegible] जीरो तीन है०) तथा 42 / 357 रकबा 0.08 है० (अक्षरें दीयालीस बटें [illegible] सौ सत्तावन रकबा जीरो पाईन्ट जीरों आठ १०) स्थित है। जिनके मिशल हकीयत संवत् 1988 (अक्षरें उन्नीस सो अयासी) तथा दस साला सेटलमेंट संवत् 1992 से 2001 (अक्षरें

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संवत उन्नीस सौ बानवे से दो हजार एक) के ब बीस साला सेटलमेंट संवत् 2004 से 2023 (अक्षरें दो हजार चार से दो हजार तेबीस) के साबिक खसरा नम्बरान निम्न प्रकार है:–

मिसल हकीयत संवत् 1988 व दससाला सेटलमेंट संवत्	बीस साला सेटलमेंट संवत् 2004 लगायत 2023	वर्तमान ख०न0
खसरा नम्बर 73 रकबा 13 बिस्वा	खसरा नम्बर 19 रकबा 13 बिस्वा	19/358 रकबा 0.02 हैक0 20/359 रकबा 0.03 हैक0 42/357 रकबा 0.08 हैक0

खसरा नम्बरान 42/357 रकबा 0.08 है० (बियालिस बटे तीन सौ सत्तावन रकबा जीरो पोईंट जीरो आठ है०) के खसरा मिलान क्षेत्रफल में गलती से 48/357 रकबा 0.08 है0 (अडतालिस बटे तीन सौ सत्तावन रकबा जीरो पोईंट जीरो आठ है0) नम्बर दर्ज हो गये थे। जो दुरूस्त एवं सही खसरा नम्बर 42/357 रकबा 0.08 है० (बियालिस बटे तीन सौ सत्तावन रकबा जीरो पोईंट जीरो आठ है०) है। जो पर्चा सेटलमेंट, जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में दर्ज सुदा है। मद नं0 3 में वर्णित कृषि भूमि में शुरू से ही प्रार्थी के मामा मृतक नागा वल्द देवबक्श जाट का 1/2 भाग रहा है तथा 1/2 भाग तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज अम्बालाल पुत्र भैरू जाट का रहा है। दोनों ही मिशल हकीयत संवत् 1988 (अक्षरे उन्नीस सौ अठ्ठयासी) में उक्त भूमि साबिक खसस नं0 73 रकबा 13 बीसवा (तेहत्तर रकबा तेरह बीसवा) में 1/2 – 1 / 2 भाग के सह खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जिसका बीस साला सेटलमेंट में खसरा नं0 19 रकबा 13 बीसवा (उन्नीस रकबा तेरह बीसवा) बना तथा वर्तमान में खसरा नम्बरान 19 / 358, 20/359 व 42 / 357 (अक्षरे उन्नीस बटे तीन सौ अठठावन, बीस बटे तीन सौ उनसद्, बियालिस बटे तीन सौ सत्तावन) बने है। प्रार्थी के मामा नागा व अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 के पूर्वज अम्बालाल ने उक्त भूमि को मौके पर मोखिक रूप से दो भागों में बॉट रखा था तथा दोनों ही अपने अपने भाग पर काश्त करते थे। प्रार्थी भी अपने मामा नागा के साथ काश्त करता था। नागा की मृत्यु के बाद प्रार्थी ही आज दिन तक भूमि को काश्त करता एवं उसका उपयोग में लेता आया है। नागा के हिस्सें एवं काब्जे का का यह 1/2 भाग जिस पर कि नागा व प्रार्थी मौके पर काश्त करते रहे है, उसका वर्तमान खसरा नं0 42/357 रकबा 0.08 है० (अक्षरे बियालिस बटें तीन सौ सत्तावन रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

जीरों पाईंट जीरों आठ है०) है। एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज अम्बालाल के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के वर्तमान खं० नम्बरान 19/358 व 20/359 (उन्नीस बटे तीन सौ अठठावन व बीस बटे तीन सौ उनसठ) है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज चले आये है। इस प्रकार उक्त वर्तमान खं० नम्बरान में ख0नं0 42/357 रकबा 0.08 है0 (बियालिस बटे तीन सौ सत्तावन रकबा जीरो पोईंट जीरो आठ है०) प्रार्थी की अपने मामा मृतक नागा के समय से ही चली आई कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जिसका प्रार्थी ही वास्तविक खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि खं० नम्बरान 19 / 358 व 20/359 (उन्नीस बटे तीन सौ अठ्ठावन व बीस बटे तीन सौ उनसठ) अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की है। प्रार्थी ने गत स्यालू/खरीफ में अपनी भूमि में बाजरा की फसल काश्त की थी तथा उन्हालु / रबी में कोई फसल काश्त ना कर वर्तमान में इस बार भूमि को सामान रखने के रूप उपयोग हेतु पडत छोड़ रखा है। मिशल हकीयत संवत् 1988 (संवत् उन्नीस सौ अठ्ठयासी) के बाद जब दस साला सेटलमेंट संवत् 1992 लगायत 2001 (संवत् उन्नीस सौ बानवें लगायत दो हजार एक) हुआ तो राजस्व रिकोर्ड में सेटलमेंट कर्मचारीयों की गलती एवं लापरवाही के कारण प्रार्थी के मामा नागा का नाम दर्ज होने से रह गया तथा केवल अप्रार्थीगण के पूर्वज अम्बालाल का नाम ही भूमि के तन्हा खातेदार के रूप में दर्ज होकर रह गया। जिस कारण प्रार्थी के मामा नागा का नाम रिकोर्ड में दर्ज नही हुआ। यही गलती/त्रुटी बीस साला सेटलमेंट संवत् 2004 लगायत 2023 (संवत् दो हजार चार लगायत दो हजार तेईस) में भी हो गई व बाद की जमाबन्दी में भी प्रार्थी के मामा का नाम दर्ज नही हुआ। तथा अम्बालाल की मृत्यु के बाद समस्त भूमि 13 (अक्षरे तेरह) बीसवा विरासत के आधार पर उसके पुत्रों के नाम लग गई। जो वर्तमान में खसरा नं 19/358 (अक्षरे उन्नीस बटे तीन सौ अठ्ठावन), 20/359 (अक्षरे बीस बटें तीन सौ अनसठ) व 42/357 (अक्षरे बीयालीस बटे तीन सौ सत्तावन) उनके वा[illegible] प्रार्थीगण सं० 1 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकोर्ड में [illegible] प्रार्थी [illegible] मामा का नाम दस साला सेटलमेंट के समय ही राजस्व रिकोर्ड से हट जाने के कारण ही प्रार्थी का नाम भी नागा की तरह ही रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका तथा इस कारण ही प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 42/357 (अक्षरे बीयालिस बटें तीन सौ सत्तावन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.08 (अक्षरे जीरो पाईंट जीरो आठ हैं०) रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम बहेशियत खातेदार काश्त कार दर्ज नही है। लेकिन इस भूमि ख0नं0 42 / 357 (अक्षरे बीयालिस बटें तीन सौ सत्तावन) से अप्रार्थीगण का एवं उनके बुजुर्गो का आज दिन तक कोई सम्बन्ध व वास्ता नही रहा है बल्कि यह भूमि मृतक नागा के समय से ही मुझ प्रार्थी की वास्तविक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। जो कि इस दावे में विवादित है । राजस्व रिकोर्ड मे हुई उक्त गलती / त्रुटि का प्रार्थी के मामा नागा को सेटलमेंट के समय तथा बाद में जानकारी नहीं थी। इस कारण वे अपने जीवनकाल में इसे दुरूस्त करवाकर अपना नाम पूर्वतः खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कोई कार्यवाही नही कर सकें और न ही उसी प्रकार प्रार्थी को पूर्व में इसकी जानकारी हुई जिस कारण प्रार्थी भी इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई कार्यवाही नही कर सका । माह सितम्बर सन् 2013 (अक्षरे सन् दो हजार तेरह) के प्रथम सप्ताह में प्रार्थी बैंक से के.सी.सी. बनवाने हेतु कार्यवाही करने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने विवादित भूमि ख0नं0 42/357 (अक्षरे बीयालिस बटें तीन सौ सत्तावन) रकबा 0.08 (अक्षरे जीरो पाईंट जीरो आठ हैं०) के खातेदारी प्रार्थी के नाम ना होकर अप्रार्थीगण के नाम होना बताया। जिसे सुनकर प्रार्थी को बड़ा अचम्भा हुआ तथा प्रार्थी ने जमाबन्दी सहित अन्य आवश्यक राजस्व रिकोर्ड की नकलें निकलवायी तथा उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 से इस गलती / त्रुटि को दुरूस्त करवाकर ख0नं0 (अक्षरे बीयालिस बटें तीन सौ सत्तावन) रकबा 0.08 (अक्षरे जीरो पाईंट जीरो आठ हैं०) की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को आश्वासन देते रहे कि तुझे चिंता करनें की कोई आवश्कता नही है। हम कि में कार्यवाही कर तेरे नाम इस भूमि की खातेदारी करवा देगें। तुझे बार–बार हमारे पास आने की कतई आवश्यकता नही है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण की बात पर विश्वास कर निषचिंत हो गया। लेकिन करीब एक सवा साल निकलने पर भी अप्रार्थीगण ने कार्यवाही नही की और न ही वे प्रार्थी से आकर मिलें तो दिनांक 14.11.2014 को दिन शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे प्रार्थी पुनः अप्रार्थीगण के पास गया तथा उनसे पूर्वानुसार ही प्रार्थी के नाम भूमि की खातेदारी करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा प्रार्थी के नाम विवादित भूमि ख0नं0 42/357 (अक्षरे बीयालिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

बटें तीन सौ सत्तावन) रकबा 0.08 (अक्षरे जीरो पाईंट जीरो आठ हैं०) की खातेदारी करवाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि वे प्रार्थी के नाम कभी भी खातेदारी नही करवायेंगे तथा प्रार्थी को यह भी चेतावनी दी कि वे मौका देखकर प्रार्थी से इसका कब्जा भी छीन कर रहेंगें और यदि कोई अच्छी रकम देने वाला ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर अच्छी कमाई करेंगें, तुझे आइन्दा हमारे पास आने की कतई आवश्यकता नही है । जब जाकर प्रार्थी को अप्रार्थीगण की बदयान्ती का पता चला अन्यथा इससे पूर्व प्रार्थी इसी विश्वास में था कि अप्रार्थीगण अपने आश्वासन के मुताबिक कार्यवाही कर विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम करवा देंगें। अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। तथा प्रार्थी से इसका कब्जा छीनने एवं भूमि को विक्रय करने की चेतावनी भी दी है। जिसका उन्हें कानूनन कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी विवादित भूमि का वास्तविक खातेदार काश्तकार है तथा उस पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त करता व उसका उपयोग लेता आया है। विवादित भूमि पर मृतक नागा का शुरू से ही तथा नागा के समय से ही एवं उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी का क तथा अप्रार्थीगण की कब्जा वापिस प्राप्त करने की मियाद व अधिकार भी समाप्त हो चुके है तथा उनके खातेदारी अधिकार विवादित भूमि पर कानूनन स्वतः ही समाप्त हो चुके है। एवं एडवर्ष पजेशन के सिद्धांत के आधार पर प्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है प्रार्थी अपने आप को इस आधार पर भी न्यायालय के मार्फत खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने इस प्रकार प्रार्थी के नाम खातेदारी करवाने से इनकार कर दिया है तथा प्रार्थी से कब्जा छीननें एवं भूमि को विक्रय करने की चेतावनी भी दी है, इस कारण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह श्रीमान के न्यायालय में यह वादपत्र पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर विवादित भूमि की खातेदारी रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवावें तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न ना करने तथा भूमि को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें। इस कारण प्रार्थी/ प्रार्थनापत्र टी०आई० द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा आज ही श्रीमान के न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

में पेश कर दिया गया है। लेकिन वादपत्र के निर्णय में समय लग सकता है इस कारण त्वरीत अनुतोष प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकि प्रार्थी वादपत्र का निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करने तथा उसे किसी भी प्रकार से मुन्तकिल ना करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकें। प्राईमा फेशी केस, सुविधा सन्तुलन एवं अपुर्णनिय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/वादी के बीच में पूर्णतया साबित है। प्रार्थीगण 1 लगायत 14 को वादपत्र के निर्णय होने तक प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न न करने तथा भूमि को किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा अप्रार्थीगण नाजायज रूप से ताकत के बल पर विवादित भूमि का कब्जा प्रार्थी से छीन लेंगें तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक काश्त नही करने देंगें व उपयोग में नही लेने देंगें एवं भूमि को मुन्तकिल करने में सफल हो जायेंगें। जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी अपनी भूमि से वंचित हो जायेंगा। तहसीलदार जी महोदय लेण्ड होल्डर होने से उन्हें भी तथा उन्हें भी इस प्रार्थनापत्र टी0आई0 में वादपत्र की तरह ही पक्षकार बनाया गया है उसी प्रकार अप्रार्थी सं0 7 द्वारा पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक शाखा स०मा० के पक्ष में रहन दर्ज करवाने के कारण बैंक को भी इसमें वादपत्र की तरह ही पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी / वादी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी स0 1 लगायत 14 को वादपत्र के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे विवादित भूमि ख0नं0 42 / 357 (अक्षरे बीयालिस बटें तीन सौ सत्तावन) रकबा 0.08 (अक्षरे जीरो पाईंट जीरो आठ हैं०) वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहत तहसील व जिला सवाई माधोपुर पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें और ना ही अन्य [illegible] मार्फत उत्पन्न करावें तथा उसे रहन बेचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार [illegible] नही करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अंकित अधिकतर मदो को अस्वीकार कर विशेष विवरण में अंकित किया है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 73 रकबा 13 बिस्वा बीस साला खतौनी सम्वत 2004 से सम्वत 2023 में अप्रार्थीगण के बाबा अम्बा पुत्र भैरू जाट के नाम से दर्ज थी। प्रार्थी का एवं मृतक नागा का भी विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। इसी आधार पर मृतक नागा ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.08.1973 को तस्दीक कराये गये दान पत्र में भी विवाद भूमि का इंद्राज नहीं है। अगर विवादित भूमि मृतक नागा के कब्जे में होती तो दान पत्र में अवश्य इंद्राज होगा। इसलिए स्पष्ट है कि विवादित भूमि से मृतक नागा व प्रार्थी का कभी कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर भौतिक कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जे खर्चे के निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया है क्योकि मृतक नागा को मरे हुए भी 35 वर्ष हो चुके है एवं दान पत्र के आधार पर नामांतकरण सन 1973 में ही खुल गया था। इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाई माधोपुर में स्थित खाता संख्या 25 में अंकित खसरा नंबर 19/358 रकबा 0.02 है0 खसरा नंबर 20/359 रकबा 0.03 है0 खसरा नंबर 42/357 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 पर भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण का बजमाने बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है। विवादित भूमि से वादी का दूर तक कोई संबंध नहीं रहा इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमानजी की सेवा में जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे। आपकी कृपा होगी।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया है कि राजस्व ग्राम कुतलपुर जाटान के साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 13 बिस्वा जा मिशन हकीयत [illegible] व दससाला सेटलमेंट में अम्बालाल पुत्र भैरू जाट एवं [illegible] के नाम 1/2 -1/2 हिस्से में दर्ज था। किन्तु बी[illegible] 2004-23 में भी उक्त खसरा नम्बर के नवीन नम्बर 19 रकबा 13 बिस[illegible] बने उक्त खसरा नम्बर में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से अम्बालाल पुत्र भैरू जाट के नाम ही खातेदारी

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0न0:- 08/2015 उनवान:- लड्डूलाल बनाम रामजीलाल मीना

:- कियात्मक आदेश -:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार एवं वकील अप्रार्थीगण की सहमति पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 14 को वाद पत्र के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुतलपुरा जाटान के खसरा नम्बर 42/357 रकबा 0.08 हैक0 पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करे और ना ही अन्य किसी अन्य दीगर करावे तथा उक्त भूमि का रहन बैचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नही करें।
निर्णय आज दिनांक 05/05/2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की मूल वाद के साथ हमफीता की जावे।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

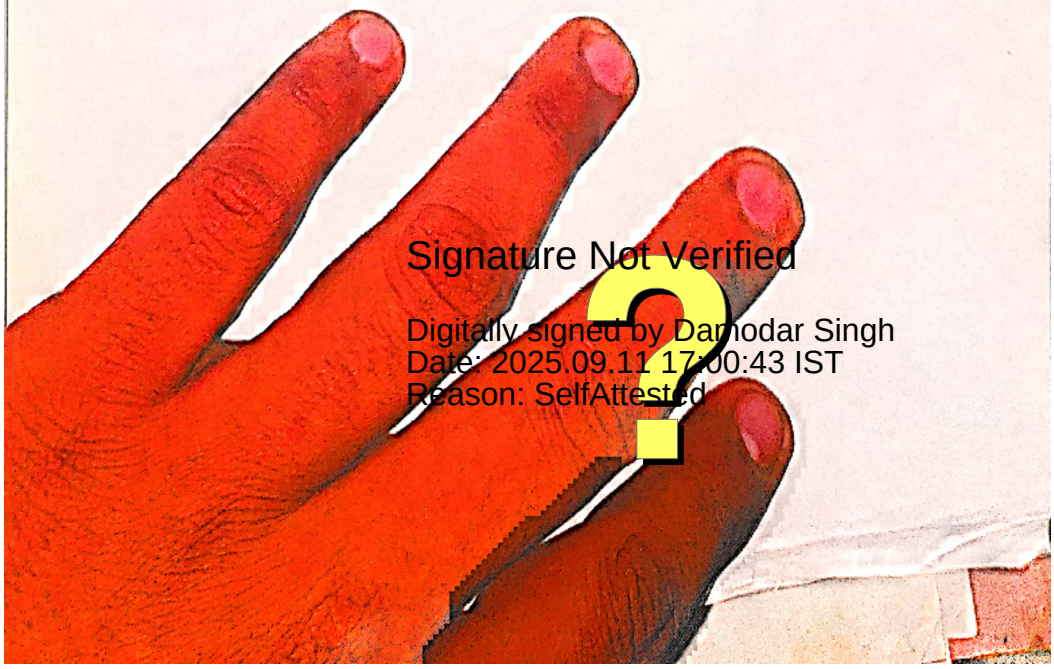

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner